संख्या -

७३२/पचास -यु० क० - २०१५-१२(बजट) / २०१३

प्रषेक ,

शत्रुंजय कुमार सिंह

उप सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा मे ,

महानिदेशक ,

प्रांतीय रक्षक दल / विकास दल एवं

युवा कल्याण , उत्तर प्रदेश

युवा कल्याण अनुभाग लखनऊ दिनांक : १० जून ,२०१५

विषय:- ग्राम भटेवरा , विकास खण्ड मछलीशहर ,जौनपुर के ग्रामीण स्टेडियम की मरम्मत हेतु अवशेष वित्तीय

स्वीकृति A

महोदय ,

कृपया प्रसंगत सन्दर्भ मे आपने पत्र संख्या -१२७/छ:-११ / प्रा ० वि० द०/२००४ , दिनांक १३ मई ,२०१५ का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे A

२- प्रसंगत सन्दर्भ मे मुझे यह कहना हुआ है कि शासनादेश संख्या - २४०/२६/-ब.प्र.-२०१४ -१२ (बजट) /२०१३ दिनांक ०४ मई ,२०१४ द्वारा ग्रामीण स्टेडियम ग्राम - भटेवरा , विकास खंड -मछलीशहर ,जौनपुर की मरम्मत हेतु रु ८.७५ लाख के आगणन के स्वीकृत प्रथम क़िस्त की धनराशि रु ४.३७५ लाख का उपयोगिता प्राण पत्र प्राप्त हो जाने के उपरांत ,अवशेष शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

विवरण	स्वीकृत धनराशि
ग्राम भटेवरा , विकास खण्ड मछलीशहर ,जौनपुर के ग्रामीण स्टेडियम की अवशेष बाउंड्री वाल एवं मरम्मत हेतु	रु . ४३७५००

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

योग -	रु ४३७५००

(चार लाख सैतीस हज़ार पांच सो रूपये मात्र)

(१) वित (आये व्ययक) अनुभाग-१ के कार्यालय - ज्ञाप संख्या -२ /२०१५/बी-१-९२५/दस -२०१५-२३१/२०१५ , दिनांक ३० मार्च ,२०१५ का अरश अनुपालन सुनिशित किया जायेगा A

(२) यह सुनिशित किया जायेगा कि उपयुक्त स्वीकृत धनराशि व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१५ -२०१६ मे ही किया जाये और उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाए A

(३) बजट प्रकोष्ट ,समाज कल्याण विभाग ,के शासनादेश संख्या -४७६/२६-ब.प्र.-२०१४ ,दिनांक ०९ सितम्बर ,२०१४ के अनुसार स्वीकृत कि गई धनराशि कि वित्तीय /भौतिक प्रगति एवं कार्य कि गुणवत्ता के सम्बन्ध मे प्रमाण - पत्र निर्धारित प्रपत्र नंबर -४२-१ पर उपलब्ध कराया जायेगा A

(४) व्यय प्रतिनिहित अधिकारों कि सीमा के अधीन किया जायेगा तथा जहा कही भी व्यय हेतु शासन /अन्य सक्षम प्राधिकारी कि स्वीकृति कि आवशकता हो , उसे यथासमय प्राप्त कर लिया जाएगा . व्यय स्वीकृति धनराशि तक ही सीमित रखा जाएगा A

(५) धनराशि व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध मे जारी शासनादेश संख्या -सी० ए०-९३४ /दस-२००८-मित-१/२००७ ,दिनांक ०२ सितम्बर ,२००८ का विशेष रूप से पालन किया जाएगा A

(६) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत कि जा रही है ,उसका उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा तथा धनराशि का उपयोग करते समय योजना के अंतर्गत निर्धारित शर्तो /दिशा -निर्देशो का पूणतः अनुपालन सुनिशित किया जाएगा A

(७) उपरोक्त शर्तो का उलंघन किये जाने पर उत्तर्दायित्व्वा निर्धारित किया जाएगा A.

2 - उक्त स्वीकृति पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष २०१५-१६ मे अनुदान संख्या -८३ के अंतर्गत आयोजनागत लेखसीर्ष ४२०२-शिक्षा ,खेलकूद , कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय -०३-खेलकूद तथा युवा सेवा -७८९ - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना -०३- अनुसूचित जाति के युवाओ के लिए ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण -२४-वृहद निर्माण कार्य के नाम डाला जाएगा A

3 - यह आदेश बजट प्रकोष्ठ ,समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या -०७/२६-बा० प्र० २०१५ तथा वित्त विभाग के संदर्भित कार्यालय - ज्ञाप दिनांक ३० मार्च ,२०१५ मे प्रशासकीय विभाग प्रदत्त को प्राधिकार के अधीन निर्गत किये जा रहे है A

भवदीय

(शत्रुंजय कुमार सिंह)

उप सचिव

संख्या-७३२ (१) / पचास -यु० क० -२०१५ (बजट) २०१३ तडदिनांक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रतिलिपि ,निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१-महालेखाकार (लेख एवं हकदारी),प्रथम / द्वितीय ,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

२-महालेखाकार (सिविल ऑडिट),प्रथम / द्वितीय ,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

३-जिलाधिकारी ,जौनपुर

४-कोषाधिकारी,जौनपुर

५-सम्बंधित कार्यदायी संस्था द्वारा महानिदेशक ,

६-जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी ,जौनपुर ,द्वारा महानिदेशक

७-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-२,उत्तर प्रदेश शासन

८-वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-१ ,उत्तर प्रदेश शासन

९-बजट प्रकोष्ट /कल्याण नियोजन प्रकोष्ट,समाज कल्याण विभाग ,,उत्तर प्रदेश शासन

१०-गार्ड बुक (बजट)

आज्ञा से ,

शत्रुंजय कुमार सिंह

उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।